

अंतिम डिकरी व मुकदमे इब्तादाई

ओ020रूल 6-7 जाब्ता दिवानी

अदालत : उपखण्ड अधिकारी
इजलास दिनेश कुमार मीणा

मुकाम - कुशलगढ
आर0ए0एस0

श्री वालु पुत्र सपुडा भील निवासी रूपगढ तहसील कुशलगढ जिला बांसवाड़ा (राज.)

- वादी

बनाम

1-श्री हवजी पुत्र पुना भील निवासी रूपगढ तहसील कुशलगढ जिला बांसवाड़ा (राज.)

2- श्री भूमिधारी जरीये राजस्व प्रति. तहसीलदार कुशलगढ, जिला बांसवाड़ा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 53, 209 रा0का0अ0,

प्रकरण सं0 57/2021

आनॅलाईन प्रकरण सं0 2021/68

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसलस कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदई रूबरू अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है/डिक्री जारी की जाती है कि-

संलग्न नक्षा ट्रेस राजीनामा के अनुसार खातेदारान की आपसी सहमति के आधार पर खसरा नम्बर 59/2 रकबा 0.4168 है0 मे से उत्तरं दिशा तरफ का हिस्सा रकबा 0.2084 है0 वादी वालु पुत्र सपुडा भील तथा दक्षिण तरफ का हिस्सा रकबा 0.2084 है0 प्रतिवादी हवजी पुत्र पुना भील के मध्य राजस्व रिकार्ड व नक्षा मे विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। रहन बदस्तुर रहेगा।

ग्राम रूपगढ

1- वालु पुत्र सपुडा भील सा.दे. खातेदार

सर्वे नम्बर	रकबा (है0)	किस्म	लगान
59/2	0.2084	बरडी2	0.18

योग -01 0.2084 - 0.18

2- हवजी पुत्र पुना भील सा.दे. खातेदार

सर्वे नम्बर	रकबा (है0.)	किस्म	लगान
59/2	0.2084	बरडी2	0.18

योग -01 0.2084 - 0.18

मिजमुलालिगबातखर्चा इस मुकदमें के मय सदबशरह फिसदी सालाना अज तारीख से तारीख अदायगी तक.....बासिब्त मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 29.07.2024 को जारी की गई।



मुदई

स्टाम्प अर्जी दावा

स्टाम्प वकालतनामा

स्टाम्प बजह सवूत

महनताना वकील

खर्चा गवाहान

फीस कमिश्नर

बाबत् इजराय हुक्मनामा

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल हर दो फरिकेन को चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

मुदायलाल

स्टाम्प वकालतनामा

स्टाम्प अर्जी

महनताना

खर्चा गवाहान

फीस कमिश्नर

बाबत् इजराय हुक्मनामा

मुतफरिक मिजान मुतफखियख

(दिनेश कुमार मीणा)

उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ कुशलगढ जिला (राज.)

रूपया पैसा